न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाली, जिला– पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– **सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग) UID RJ 00696

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 26/2026

प्रार्थी/अभियुक्तः–

01. नाथाराम पुत्र भंवराजी, उम्र 55 साल,
निवासी काछोली, पुलिस थाना सरूपगंज, जिला–सिरोही, राजस्थान।
(अभियुक्त वर्तमान में उप–कारागृह, बाली में दिनांक 18.04.2026 से निरूद्ध)

// बनाम //

अप्रार्थी/राज्य

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक।

प्रथम नियमित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रथम रिपोर्ट संख्या 197/2013 पुलिस थाना– नाना, जिला–पाली (राजस्थान), फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 296/2016, सीआईएस नं. 296/2016, सरकार बनाम नाथाराम वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 494 भारतीय दण्ड संहिता, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली, जिला पाली (राजस्थान) ।

उपस्थितिः–

01– श्री विक्रमसिंह सोलंकी, श्री श्रवणसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।

02– विद्वान अपर लोक अभियोजक अप्रार्थी वास्ते राज्य।

:: आ दे श :: **दिनांक– 29.04.2026**

01. यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम की ओर से अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत

सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गई।

02. प्रार्थी/अभियुक्त ने इस प्रार्थना पत्र के जरिये प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2013 पुलिस थाना नाना, जिला–पाली (राजस्थान), फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 296/2016, सीआईएस नं. 296/2016, सरकार बनाम नाथाराम वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 494 भारतीय दण्ड संहिता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली, जिला–पाली, (राजस्थान) में प्रथम नियमित जमानत हेतु निवेदन किया है।

03. प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम की ओर से प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब बाली के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण की पेशी इस माननीय न्यायालय में थी, उस समय प्रार्थी/अभियुक्त खाने कमाने हेतु बाहर चला गया, वहां पर मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस कारण प्रार्थी/अभियुक्त इस माननीय न्यायालय में हाजिर हो सका, न ही इस बाबत सूचना दे पाया, जिससे उसके जमानत मुचलके जब्त कर वान्ट जारी किया गया व तत्पश्चात् उसे मफरूर घोषित किया व प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त किया व प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त गत पेशीयो पर अधीनस्थ न्यायालय में जानबुझकर या ईरादतन गैर हाजिर नही रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त आईन्दा हर पेशीयो पर हाजिर रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त जिला सिरोही राजस्थान में निवास करता है तथा उनकी चल अचल सम्पति भी उनके निवास स्थान पर स्थित है तथा उनके कही भागकर जाने का अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त शहादत इस्तगासा के गवाहान को टेम्परविथ नही करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है प्रार्थी/अभियुक्त के जेल में रहने से उसके परिवार वाले भूखे मर जावेंगे। प्रार्थी/अभियुक्त गत पेशीयो पर अधीनस्थ न्यायालय अन्त में निवेदन

किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश फरमावें।

04. पत्रावली अवलोकन अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया गया हैः–

क.सं.	प्रकरण संख्या एवं पुलिस थाना	अपराध का विवरण	वर्तमान प्रक्रम
	शून्य	शून्य	शून्य

05. बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी गई।

06. दौराने बहस जमानत प्रार्थना–पत्र विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त खाने कमाने हेतु बाहर चला जाने के फलस्वरूप न्यायालय की पेशी की जानकारी नही हो पायी थी, वह जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नही रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं वह आयन्दा विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा। अंत में उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

07. वहीं विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित रहने एवं इससे पूर्व उसके द्वारा 5 बार अनुपस्थित रहने पर जमानत जब्त होने एवं इससे विचारण की कार्यवाही लंबित रहने के फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

08. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2013 को प्रार्थीया श्रीमति कमला पत्नि नाथाराम पुत्री रूपाराम जाति गाडोलिया लुहार उम्र 35 साल निवासी काछौली हॉल चामुण्डेरी जिला पाली राज० का धारा 156 (3) के तहत श्रीमान सी.जे. एण्ड जे.एम कोर्ट बाली से इस्तगासा इस आशय की प्राप्त हुआ कि मेरी शादी 16 साल पुर्व श्री नाथाराम पुत्र भवराजी गाडौलिया लुहार निवासी काछौली के साथ समाज की रिति से चामुण्डेरी में हुई थी शादी के समय

माता पिता ने अपनी हेसीयत अनुसार दहेज में सोने की वालकी, खाट बिस्तर, लोहे की पेटी व बर्तन दिये थे। शादी के बाद सप्रार्थीनी के पति के पेट से तीन बच्चे नेहरू, शेता व महेन्द्र हुए। फिर अभियुक्त नाथाराम, ससूर भवरा, काकीया ससूर मादाराम व गुलाबराम, श्रीमति सुगना दुसरी पत्नि द्वारा दहेज में 20000 हजार रूप्ये की मांग कर तंग परेशान कर मारपीट करने लगे व बच्चो सहित घर से निकाल दी जिस पर पीहर चामुण्डेरी भेज दी व पिछे परिवादीनी पत्नि होते हुऐ भी पति नाथा ने श्रीमति सुगना से शादी कर ली व मुलजिम संख्या दो लगाय चार ने नाथा से श्रीमति दुसरी शादी करवा ली व दिनांक 01.07.2008 को परिवादीनी को अभियुक्तगण एक लगाय चार ने वापस ससूराल ले जाते वक्त एक ईकरारनामा दिया कि परिवादीनी के साथ मारपीट व दुसरी शादी नहीं करेगा। मगर अभियुक्त नाथा ने श्रीमति सुगना से दुसरी शादी कर घर में औरत बनाकर रख ली व परिवादी दो माह पुर्व अपने बच्चो सहित ससूराल काछोली गई तो परिवादीनी के साथ सभी अभियुक्तगणो ने दहेज के लिये तंग परेशान कर मारपीट कर स्त्रीधन हडप कर अपने भाईयो के पास चामुण्डेरी छोड दी व चामुण्डेरी में भी परिवादीनी के साथ पति नाथाराम ने मारपीट की वगैरा पर मुकदमा नंबर 197 दिनांक 11.10.2013 धारा 498ए, 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ की गई।.....आदि। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम तथा अन्य अभियुक्ता सुगना के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 494 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित कर सुनाया समझाया गया। बयान मुलजिम के स्तर पर दिनांक 19.11.2024 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अनुपस्थित रहने पर उनके जमानत मुचलके जब्त किये गये, दिनांक 18.04.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम को गिरफ्तार कर उसे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 24.04.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

09. उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.11.2024 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उसके जमानत मुचलके जब्त सरकार किये जाकर उसे मफरूर घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया, जिसके फलस्वरूप उसे दिनांक 18.04.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष स्थायी गिरफ्तारी वारंट की पालना में पेश किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया एवं उसके द्वारा दिनांक 23.04.2026 को पेश जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया। पत्रावली अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इससे पूर्व विभिन्न स्तर पर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप दिनांक 25.06.2015, 07.11.2015, 20.02.2017, 23.05.2018, 28.08.2019 को अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उसके जमानत मुचलके जब्त सरकार हुये है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति का होना भी दर्शित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर गवाह हाजिर होने पर भी दो बार जमानत जब्त हो चुकी है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित होकर टारगेटेड कैसेज की श्रेणी में शामिल रहा है। टारगेटेड प्रकरणों के समयाबद्ध अवधि के भीतर निस्तारण करने के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिये हुये है। प्रार्थी/अभियुक्त की बार–बार अनुपस्थिति के फलस्वरूप प्रकरण के निस्तारण में बाधा उत्पन्न हुयी है। वर्तमान में पत्रावली में बयान मुलजिम शेष होने का तथ्य भी दर्शित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके पूर्व के आचरण को दृष्टिगत रखे तो उसके पुनः विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

10. अतः न्यायालय मतानुसार प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अस्वीकार कर खारिज

किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त नाथाराम की ओर से पेश प्रथम नियमित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रथम रिपोर्ट संख्या 197/2013 पुलिस थाना– नाना, जिला– पाली, राजस्थान), फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 296/2016, सीआईएस नं. 296/2016, सरकार बनाम नाथाराम वगैरह, अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 494 भारतीय दण्ड संहिता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली, जिला–पाली, (राजस्थान) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित हो।

(सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया)
अपर सेशन न्यायाधीश,
बाली, जिला–पाली (राज.)।

12. आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया)
अपर सेशन न्यायाधीश,
बाली, जिला–पाली (राज.)।